न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 04/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 महेन्द्र विश्नोई पुत्र बजरंग लाल निवासी धारासर बाडमेर मैसर्सः– नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर रोड नागौर। 2 मैसर्सः– नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर रोड नागौर।

आदेश

दिनांक :21.02.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15-03-2023 को मैसर्स नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर रोड नागौर पर खाद्य पदार्थ दही (सरस ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2192 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/302/एक्ट/2023/331 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही (सरस ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ दही (सरस ब्राण्ड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 04.10.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही (सरस ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण महेन्द्र विश्नोई पुत्र बजरंग लाल निवासी धारासर बाडमेर तथा नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर रोड नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-01-24 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.02.24 ने अपनी बहस में बताया कि एक ही दही के सैम्पल की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर एवं जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर में पूर्णतया एक दूसरी से भिन्न है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/302/एक्ट/2023/331 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार Milk solids not fat 7.6 प्रतिशत जोकि मिनीमम 9 प्रतिशत से कम होने से सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया तथा जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर रिपोर्ट दिनांक 04.10.2023 के अनुसार उक्त दूध में मिल्क फैंट 0.45 प्रतिशत जो कि मिनीमम 1.5 से कम होने से सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त दोनों रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सेम्पल लेने के 14 दिनों बाद प्रयोगशाला में गुणवता जांच के लिए प्रोसेस हुआ है जबकि मैसूर में सेम्पल की जांच एकत्रित करने के 7 माह बाद की गयी है। इस बाबत श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी से न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा जानकारी चाही गयी कि सेम्पल प्राप्त करने के कितने दिनों की अवधि में सेम्पल प्रोसेस किया जाना चाहिए? अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त सेम्पल की गुणवता/गुणधर्म पर क्या विपरीत प्रभाव पडता है? प्रभावी अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक एवं औचित्यपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी गयी। उक्त दोनों रिपोर्ट्स विरोधाभासी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेम्पल को ठीक से संरक्षित (Preserve) नहीं किया अथवा स्थापित प्रक्रिया अनुसार प्रोसेस नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर रोड नागौर पर किसी प्रकार की कार्यवाही/जुर्माना लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. आदेश आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)